उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0 12, वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ ।

कार्यालय ज्ञाप

पत्रांक– H10129/e-2/मा0-348/2017 दिनांक– 6/10/2017

बोर्ड की 99वीं बैठक की कार्यसूची संख्या–99.07 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1)(बी) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सफेद श्रेणी के उद्योगों हेतु पारित आदेश दिनांक 07.03.2016 के अनुपालन में सफेद श्रेणी के 36 प्रकार के उद्योगों हेतु सहमति प्रदान करने की व्यवस्था में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था

"...........केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचित 36 प्रकार के सफेद श्रेणी के उद्योगों की अनुमन्य भूप्रयोग होने की स्थिति में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अंतर्गत नियमानुसार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सहमति हेतु आवेदन करना होगा तथा उक्त की प्राप्ति ही जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अंतर्गत सहमति समझी जायेगी ...."

बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है । बोर्ड द्वारा अनुमोदित उक्त प्रस्ताव की छायाप्रति सूची सहित इस निर्देश के साथ संलग्नकर प्रेषित की जा रही है कि वर्णित उक्त निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे ।

संलग्नक :–उपरोक्तानुसार ।

(आशीष तिवारी) 06/10
सदस्य सचिव

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्त

<u>प्रतिलिपि :–</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष महोदया के निजी सहायक ।
2. बोर्ड मुख्यालय के समस्त नियंत्रक अधिकारी/समस्त क्षेत्रीय अधिकारी ।
3. श्री प्रदीप शर्मा, वेब मास्टर, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विभाग की वेबसाईट में प्रदर्शित करने हेतु ।
4. गार्ड फाइल ।

(डा0 राजीव उपाध्याय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशासन)